उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला–खरसावाँ।

(श्रम विभाग)

<u>अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सुचना</u>

सरायकेला–खरसावाँ जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत **कंबल वितरण कार्यक्रम** के अधीन वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले निर्धन, अपंग, विधवा, भूमिहीन, निःसहाय, वृद्ध, वृद्धा, एवं भिक्षुओं के बीच मुफ्त कंबल वितरण करने हेतु कंबल आपूर्ति के लिए मुहरबंद निविदा अधिकृत निबंधित प्रतिष्ठानों से आमंत्रित की जाती है :–

क्र0	सामग्री का नाम	साईज	वजन	आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों की संख्या
1.	**कम्बल**	**90” X 60”**	**2** किलोग्राम	**25777**

<u>नियम एवं शर्ते</u> :–

निविदा मुहरबंद लिफाफे में **<u>श्रम अधीक्षक का कार्यालय, सरायकेला–खरसावाँ</u> में** दिनांक – 07/12/2018 के पूर्वाह्न 12–00 बजे तक या इसके पूर्व प्राप्त की जाएगी। प्राप्त निविदा दिनांक ...07/12/2018 के 3–30 बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित **जिलास्तरीय क्रय समिति** के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदा दाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य है।

निविदा का तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दो अलग–अलग लिफाफे में मुहरबन्द होगा। दोनों लिफाफा को एक बड़े तीसरे लिफाफे में मुहरबन्द का निबंधित डाक अथवा हाथों हाथ निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकता है। तकनीकी बीड सही पाये जाने के उपरांत ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।

(क) <u>तकनीकी बीड</u> :–

(1.) निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 1,00,000/– (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट **‘उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ,** के पदनाम से संलग्न करना आवश्यक है।

(2.) निविदा के साथ वाणिज्यकर निबंधन, पैन की छायाप्रति, अधीकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिटर्न, वाणिज्य कर स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा **GST** के तहत फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(3.) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने के संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ–पत्र देना होगा।

(4.) निविदादाता का पिछले तीन वर्ष में औसतन टर्न ओभर पचास लाख या अधिक का होना अनिवार्य होगा।

(5.) निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति के पश्चात् प्रस्तुत विपत्र को जाँचोपरांत नियमानुसार कर/करों की कटौती के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।

(6.) कम्बल का नमूना समर्पित करना होगा, जिसका न्यूनतम आकार **90" X 60"** एवं वजन कम से कम **2.00(दो) किलोग्राम** होना आवश्यक है।

(7.) सभी कम्बलों में **झारखंड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग** का लोगो (Logo) लगा होना चाहिए।

(ख) वित्तीय बीड :—

(1.) प्रति अदद् कम्बल का दर अंकित करना अनिवार्य होगा।

अन्य

(1.) निविदा में सफल निविदादाता को निर्धारित दर पर आपूर्ति आदेष निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर कम्बलों की आपूर्ति निर्धारित संख्या में सभी प्रखंड मुख्यालय में करना होगा। इसके लिये आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(2.) निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त कोई हथालन या परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।

(3.) एक निविदादाता/प्रतिष्ठान को एक ही कम्बल का नमूना प्रस्तुत करना होगा।

(4.) आपूर्ति किये जानेवाले कम्बल निविदा में प्रस्तुत किये गये नमूना के अनुरूप होना अनिवार्य होगा।

(5.) जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर पर एक से अधिक निविदा दाता के बीच कार्यादेश देने का अधिकार जिला क्रय समिति को होगा।

(6.) सभी अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा।

(7) अधिक जानकारी के लिए सरायकेला—खरसावॉ जिला के वबसाईट के टेन्डर शीर्ष में देखें।

उपायुक्त
सरायकेला—खरसावाँ।

ज्ञापांक —..................../श्रम0 सरायकेला, दिनांक —

1. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सरायकेला—खरसावाँ को निविदा की Hard Copy तथा Soft Copy के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि दैनिक अखबार राँची संस्करण एवं सभी स्थानीय दैनिक अखबारों में निविदा प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाय।
2. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सरायकेला—खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा को जिलें के वेबसाइट में अपलोड कराया जाय।

उपायुक्त
सरायकेला—खरसावाँ।